न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—301/2017/223 (2017/00301)

1. श्री जैन गुरूकुल शिक्षण संघ, ब्यावर एक रजिस्टर्ड संस्था जो कि सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है व जो कि उसके सचिव व या उसके अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व होती है ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाये), अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 3.10.2017 अंतर्गत वाद संख्या 126/1991.

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.10.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांट ने एक राजस्व वाद अधिकारों की घोषणा, खातेदारी, बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम नया नगर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में साबिक खसरा संख्या 1627 रकबा 00—18—00 व हाल खसरा नंबर 1995 रकबा 00—18—00 बीघा, साबिक खसरा नंबर 1643 रकबा 06—06—10 बीघा 1999 रकबा 00—04—12, साबिक खसरा संख्या 2000 रकबा 06—01—00, 2001 रकबा 00—01—00, साबिक खसरा नंबर 1630 रकबा 01—12—10 हाल 1998 रकबा 1—12—10, साबिक खसरा नंबर 1632 हाल 1991 रकबा 00—01—00, साबिक खसरा नंबर 1633 हाल रकबा 2—6—00 हाल 1993, साबिक खसरा नंबर 1634 हाल 1992 रकबा 00—04—00, साबिक खसरा नंबर 1628 हाल 1996 रकबा 00—04—00, साबिक 1629 हाल 1997 रकबा 2—3—00, साबिक 1876 रकबा 00—01—00 बीघा अवस्थित है । वादी एक पंजीकृत शिक्षण संस्थान है जो कि सोसायटीज रजिस्ट्रशन एक्ट नंबर 21 सन् 1860 के तहत पंजीकृत है व उसके सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व होती है इसके अलावा आम सभा अपने प्रस्ताव द्वारा किसी व्यक्ति को विशेष समुदाय हेतु वादी का प्रतिनिधित्व करने को अधिकृत कर दे तो वह व्यक्ति वादी संस्था रिप्रजेन्ट कर सकता है, वादरी संस्था की आम सभा ने अपनी मीटिंग दिनांक 18.7.1990 में लिखित प्रस्ताव द्वारा फतहसिंह मेडवाल सदस्य जो कि प्रस्तुत की विषय बाबत् जानकार है, वादी संस्थन का प्रतिनिधित्व करते है । वादी अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

शिक्षण अध्यापन कार्य श्री जैन गुरूकुल विद्या मंदिर हाई स्कूल के नाम से सन् 1950 के पहलें से संचालित कर रही थी, जिसके वास्ते वादी संस्था ने अपना विद्यालय भवन प्रधानाध्यापक कार्यालय, गेस्ट हाऊस, अध्यापक निवास व अमर जलाशय चाह, जिसका पानी खारा है व ऊपर के कमरे व हाल आदि उपरोक्त खसरा नंबर 1991, 1992 और 1993 पर निर्मित कराये थे जिसका उत्री भाग संस्था के एक संस्थापक दुर्लभ जौहरी की बस्ट के अहाते तक है । प्रतिवादीगण ने उक्त राजकीय जैन गुरूकुल मल्टीपरपज हॉयर सैकेण्डरी स्कूल ब्यावर के उपयोग के वास्ते वादी संस्था से रूप्ये 1300/– प्रतिवर्ष की दर से दिनांक 1.10.1962 को किराये पर ले गये, वादी संस्था को वादग्रस्त भूमि बाबत् रेवेन्यू मुकदमा नंबर 18/1971 में उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 29.9.1973 द्वारा खुदकाश्त अंतर्गत धारा 5 (4) राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूल अधि0 1959 घोषित कर दिया जिससे प्रतिवादीगण पाबंद है । तत्पश्चात् वादी संस्था द्वारा दिनांक 26.9.1986 को प्रतिवादी राज्य सरकार को वादी भवन खरीदने की आवश्यकता बताई, जिस पर पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा मूल्यांकन कराया गया जो कि 4,26, 800/–रू0 पर किया लेकिन प्रतिवादीगण ने बदनियति से वादी की भूमि जो कब्जाशुदा थी पर कानून हाथ में लेते हुए अतिक्रमण करना शुरू कर दिया तथा पत्थरगढ़ी के निशान मिटा दिये गये तथा अपने मनमाने तरीके से वादी की जमीन पर खम्भे गाड़ दिये व बोर्ड लगा दिया । जिसकी जानकारी वादी को होने वाद द्वारा धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिनांक 21.4.1990 को प्रेषित किया गया । उक्त नोटिस प्रतिवादीगण को तामील हो गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया । इस कारण यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई । अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.10.2017 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । तनकी संख्या 2 का निर्णय करते समय अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु को नजरअदांज किया कि तत्कालीन राज्य सरकार अजमेर राज्य द्वारा जो आदेश दिनांक 5.9.1956 को पारित किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से जो अंकन किया गया है उससे यह बिन्दु साबित हो जाता है कि वादपत्र के परिशिष्ट क व ख में जो अंकन किया गया है वह सही है तथा यह तनकी अपीलांट के पक्ष में की जानी चाहिये थी, क्योंकि वादपत्र में संस्था के भवन तथा मैदान के पास स्थित कुआं जिसमें फेमेली क्वार्टर व गेस्ट हाऊस आदि शामिल नहीं थे। इस प्रकार दिनांक 11.10. 1989 को जो पश्चात्वर्ती बेचाननामा वादपत्र में अंकित ब भाग का निष्पादन हुआ था उसके उपरांत उसके आगे शेष खसरा नंबर 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 तथा 1876 वादी संस्था के पास यथावत् रहना प्रमाणित हो जाता है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 का निर्णय विधि विरूद्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत किया है । तनकी संख्या 3 को निर्णित करते समय विचारण न्यायालय ने वादी संस्था से जो भू–भाग राज्य सरकार ने क्रय किया है उसे क्रय करना तो साबित माना है परन्तु क्रय किये भू–भाग के पश्चात् शेष बचे खसरा नंबरान बाबत् का निर्णय तनकी संख्या 2 में त्रुटिपूर्ण रूप से कर दिया था इस कारण इस तनकी का निर्णय तनकी साबित होते हुए भी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित करे त्रुटि कारित की है । तनकी

संख्या 3 व 4 को अधी0न्याया0 ने एक साथ निस्तारित किया है तबा तनकी संख्या 4 जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 के तहत है जो अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें वादी संस्था के पक्ष में निर्णय पारित हुआ था तथा इस तनकी को साबित करने हेतु अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी, इसके उपरांत वादी संस्था ने जो मौखिक साक्ष्य पेश की थी इसके उपरांत भी अधी0न्याया0 स्पष्ट निर्णय पारित नहीं कर भारी त्रुटि कारित की है । तनकी संख्या 7 वर्तमान राजस्व अभिलेख से संबंधित है जिसके विपरीत कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 7 का निर्णय समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का गलत विवेचन करते हुए किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि तनकी संख्या 5 प्रदर्श–14 से 18 तक जो वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, उससे पूर्णतया साबित थी तथा वर्ष 1956 में राज्य सरकार को अन्तरित सम्पति के अलावा वर्ष 89 में किये गये बेचान के उपरांत शेष बचे खसरा नंबर 1994 से 2001 तथा 1876 पर किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार प्रतिवादीगण का नही था तथा उनके द्वारा किया गया नाजायज कृत्य अतिक्रमण की परिभाषा में आता है । तनकी संख्या 6 बाबत् निर्ण्य दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित था तथा की गई स्वीकृति के उपरांत वर्ष 89 में निष्पादित बेचाननामा से स्पष्ट है कि वर्ष 1956 में राज्य सरकार को प्रार्थी संस्था की पूर्ण सम्पति नहीं दी गई थी, मात्र स्कूल भवन आदि दिये थे, उसके पास में शेष भवन जो राज्य सरकार को किराये पर दिया था जिसका विक्रय वर्ष 1989 में हुआ था उसके उपरांत शेष खसरा नंबरान वादी संस्था के हक, अधिकार की भूमि है जो स्वंय प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है इसके उपरांत भी तनकी संख्या 4 व 7 में किये गये विवेचन के उपरांत इस तनकी को भी वादी के विरूद्ध गलत रूप से निर्णित किया गया है। अधी0न्याया0 ने इस बिन्दु को नजरअंदाज किया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1956 में विद्यमान थी उसके पश्चात् वादी/ संस्था की स्कूल को टेकऑवर किया गया था तथा क्रयशुदा सम्पति की कोई अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गई तथा तत्समय स्कूल हेतु बने भवन जो राज्य सरकार द्वारा लिये गये वह ही राज्य सरकार में निहित होते है तथा पास में बचे भवन आदि स्वंय किराये पर लिये गये थे, जिसका बेचाननामा स्वंय राज्य सरकार द्वारा स्वंय के पक्ष में करवाया गया ऐसी स्थिति में वर्श 89 में हुए बेचान के उपरांत शेष बचे भू–भाग बाबत् राज्य सरकार का कोई हक, अधिकार होना साबित ही नहीं होता है । स्वंय वादी संस्था जनहित में काम करने वाली संस्था है, संस्था की मूल्यवान भूमि को बिना किसी कारण के किसी अन्य की भूमि नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान जमींदारी बिस्वेदानी उन्मूलन अधि0 के पृष्ठ संख्या 344 पेश किया ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है न ही अधिकृत व्यक्ति द्वारा तस्दीकशुदा है और ना ही वादी संस्था की रजिस्टर्ड बॉडी द्वारा हस्ताक्षरित व तस्दीकशुदा है । इस कारण भी वादी का वाद निरस्तनीय है । वादी संस्थान ने कभी कोई शिक्षण प्रवृति व अध्यापन कार्य श्री जैन गुरूकुल विद्या मंदिर हाई स्कूल, ब्यावर के नाम से संचालित नहीं किया है बल्कि जैन गुरूकुल विद्या मंदिर हाई स्कूल, ब्यावर स्वंय एक शिक्षण

संस्था थी और उस शिक्षण संस्थाान के विद्यालय भवन, प्रधानाध्यापक कार्यालय, गेस्ट हाउस, अध्यापक निवासी, अमर जलाशय–खारे पारी का चाह बने हुए थे जो उक्त खसरा नंबर 1992, 1993 व 1991 में बने हुए थे उनमें से केवल अधिष्ठाता कक्ष, अतिथि कक्ष तथा अहाते में स्थित एक कुआं खारे पानी को छोड़कर शेष भूमियां खसरा नंबर 1994, 1993, 1992, 1996, 1997, 1876, 1998, 2000, 2001, 1999 व 1995 तो प्रोविशियलाइजेशन के तहत दिनांक 1.8.1956 से तत्कालीक अजमेर राज्य में उनके मालिकाना हक अन्तनिर्हित हो गये और तत्कालीन सरकार को हैण्ड ओवर कर दी गई तथा उक्त अधिष्ठाता कक्ष, अतिथि कक्ष, अहाते में स्थित खारे पानी का कुआ आदि शेष भूमि खसरा नंबर 1991 सहित राजस्थान सरकार ने खरीद ली इसलिये उपरोक्त वर्णित समस्त जायदाद एवं कृषि भूमियों की एकमात्र मालिक राजस्थान सरकार हो चुकी है और उसी का कब्जा सन् 1956 से लगातार आज दिवस तक चला आ रहा है। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का आदेश दिनांक 29.9.1973 जो कि राजस्व मुकदमा संख्या 18/71 में वादी संस्था को राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 1959 के धारा 5 (4) के तहत खुद काश्त घोषित किया गया है वह आदेश प्रभावशून्य होकर प्रवितादीगण पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि उक्त मुकदमें में राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर अथवा राजकीय जैन गुरूकुल सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ब्यावर अथवा उस वक्त मे राजकीय श्री जैन गुरूकुल मल्टीपरपज हॉयर सैकण्डरी स्कूल अथवा राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया था । वाद में वर्णित काश्त भूमिया व समस्त कारतामीरात व भवन आदि तात्कालिक अजमेर राज्य में अलावा अधिष्ठाता कक्ष, अतिथि कक्ष व अहाता में स्थित चाह को छोड़ बाकी सारी सम्पतियां अंतररिहित हो गई थी तथा कब्जा भी राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया था । वाद संख्या 18/71 पेश करते समय कब्जा वादी का नही था इसलिये वादी को खुदकाश्त घोषित कराने तथा प्रार्थना पत्र देने का कोई अधिकार नहीं था । वादी को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट व राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधि0 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार से कोई हक, स्वत्व, स्वामित्व खातेदारी अधिकार आदि प्राप्त नहीं हुए है क्योंकि वादी संस्था तथा उक्त सैक्रेट्री पूनमचंद कांकरिया ने वादग्रस्त आराजियात, बिल्डिंग, चाह, खेल मैदान सहित सन् 1956 के प्रोविशियलाईजेशन के तहत खातेदारी अधिकार सरेण्डर करके कब्जा हैण्ड ओवर कर दिया था इसलिये वे खातेदारी अधिकार सन् 1956 में ही कानूनन खो चुके है और तब से उनका कब्जा नहीं है इसलिये उन्हें बेदखल किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित कर वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 1994, 1996, 1997, 1998 व 1999, मय मीठे पानी के चाह व खसरा नंबर 2000, 2001, 1876, 1995 का खातेदार काश्तकार होने का कथन कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने तथा प्रतिवादी द्वारा नाजायज रूप से वादग्रस्त जमीन पर व चाह पर जो खम्भे गाड़ दिये है व अपना बोर्ड लगा दिया है, उनको हटाये जाने व उसके हर्जाना स्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में जो भी रकम न्यायालय मुनासिब समझे, वादी

को दिलाने जाने हेतु वाद पेश किया था । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार अनुतोष सहित कुल 8 तनकियात कायम की है।

7. तनकी संख्या 1–क्या वाद के पद नंबर 2 में वर्णनानुसार वादी संस्था पंजीबद्ध है व श्री फतेहसिंह मेड़तवाल उसका प्रतिनिधित्व करते है ? अधी0न्याया0 ने उक्त तनकी अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट के पक्ष में निर्णित की है । तनकी संख्या 1 के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है ।

8. तनकी संख्या 2 के निर्णय में अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श ए–5 के अनुसार यह माना है कि श्री एन0के0कोठारी डिप्यूटी सेक्रेट्री के पत्रांक 3.4.1955/ईडीएन, डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन अजमेर द्वारा दिनांक 5.9.1956 को डॉयरेक्टर ऑफ एज्युकेशन अजमेर के नाम संबोधित करते हुए श्री जैन गुरूकुल विद्या मंदिर हाई स्कूल ब्यावर के प्रोविंशियलाईजेशन का अंकन है जिसमें नियम व शर्ते अंकित है । उक्त पत्र में कहीं भी परिशिष्ट "क" या "अ" का अंकन नहीं किया गया है। अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 केवल मात्र प्रोविंशियलाईजेशन होकर राज्य सरकार को हस्तातंरित होने की सीमा तक तय की है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।

9. तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने का भार वादी पर था । राज्य सरकार ने कितनी राशि में तथा कौनसी बिल्डिंग किराये पर ली, इसका तत्समय कोई विवरण रंग विशेष से किये जाने संबंधी दस्तावेज वादी ने पेश नहीं किये है । परिशिष्ट क व ब बाबत् किराये पर लिये जाने सबंधी अंकन भी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में नही है । प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि अधिष्ठाता कक्ष व अतिथि कक्ष तथा अहाता में स्थित कुआं खारे पानी का ही किराये पर लिया था जिसे बाद में प्रतिवादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.10.1989 को खरीद लिया । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 को राज्य सरकार को किराये पर दिए जाने की सीमा तक आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।

10. तनकी संख्या 4 क्या पद संख्या 6 में वर्णित भूमि साबिक खसरा नंबर 1643, 1627, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1628, 1629 जिसके हाल खसरा नंबर 1995, 1999, 2000, 2001, 1998, 1994, 1991, 1992, 1996, 1997, 1876 का वादी बमुजब आदेश दिनांक 29.9.1973 मुकदम नंबर 18 सन् 1971 खुदकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित हुआ, यदि हां तो इसका क्या असर है ?

11. तनकी संख्या 7–क्या वादी को वादग्रस्त भूमि पर खातेदार काश्तकार अधिकार प्राप्त है व वह खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य है ?

12. अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 4 व 7 का एक दूसरे की पूरक होने से एक साथ निर्णित किया है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 4 व 7 के निर्णय में यह माना है कि वाद संख्या 18/71 का आदेश दिनांक 29.9.1973 श्री नरेन्द्र कुमार भार्गव उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा खसरा नंबर 1643, 1627, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1628, 1629 ग्राम नया नगर के है तथा शाहपुरा बिचड़ली के खसरा नंबर 63/96, 62, 67 है, को श्री जैन गुरूकुल शिक्षण संघ ब्यावर के नाम जमींदारी बिस्वेदारी एक्ट 1959 के तहत खुदकाश्त दर्ज करने के आदेश दिए है जो कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के पर से आदेश दिए है जबकि जमींदारी बिस्वेदारी अबोलियेशन एक्ट कलक्टर की हैसियत से ही दिये जा सकते थे । जमींदारी बिस्वेदारी अबोलियेशन एक्ट के तहत कलक्टर की हैसियत से सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को अधिकार/शक्तियां प्रदान की गई थी किन्तु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर

के आदेश में कलक्टर पद का कोई अंकन नहीं है । जब वादी संस्था श्री जैन गुरूकुल संघ वर्ष 1938 से ही प्रभाव में आ गई थी तो जमाबंदी व राजस्व अभिलेखों में खुदकाश्त दर्ज क्यों नही किया गया । खुदकाश्त केवल मात्र भूमियों में स्वंय द्वारा ही काश्त किये जाने पर दर्ज होता है । जब उक्त भूमियां वर्ष 1956 में ही प्रोविंशियलाईजेशन होकर भूमियां सरकार को अंतरित कर दी गई तो खुदकाश्त कैसे हो सकती थी । दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि सवंत् 2020–23 का वर्ष 1963–1966 होता है, जब वर्ष 1956 में ही प्रोविंशियलाईजेशन हो चुका है, व अधिष्ठाता कक्ष व अतिथि कक्ष तथा अहाता में स्थित एक कुआं खारेपानी का ही किराये पर लिया थ जिसे बाद में प्रतिवादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 11.10.1989 को खरीद लिया था जबकि अधी0न्याया0 की पत्रावली से स्पष्ट है कि वर्ष 2024 से 2027 के पूर्व कभी भी जैन गुरूकुल शिक्षण संघ के नाम भूमियां दर्ज नहीं है जबकि संस्था का पंजीकरण पूर्व में हो चुका था, जो भूमियां प्रदर्श–1 के अनुसार ग्राम नया नगर की जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 जिसमें खाता संख्या 105 में अंकित किया गया खसरा नंबर खसरा संख्या 1632, 1633, 1634 में अपीलांट के नाम खुद काश्त दर्ज है जिसके नये हाल खसरा नंबर 1991, 1993, 1992 जो अपीलांट ने बेचाननामा दिनांक 11.10.1989 से प्रतिवादीगण को हस्तातंरित कर दी है । प्रोविंशियलाईजेशन के बाद वादी ने वादग्रस्त आराजियात पर अपना होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 32 से 36 में उक्त आराजियात राजकीय जैन गुरूकुल माध्यमिक विद्यालय संस्था का कब्जा काश्त होना सिद्ध नहीं होता है । इस आधार पर अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तनकियात वादी/अपीलांट के विरूद्ध निर्णित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है ।

13. तनकी संख्या 5 के संबंध में अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष विधिसम्मत् है कि प्रोविंशियलाईजेशन वर्ष 1956 के समय में ही हो जाने से प्रोविंशियलाईजेशन के तहत अंतरित की गई भूमियों पर प्रतिवादीगण ही काबिज चले आ रहे है तथा जो भूमियां प्राविंशियलाईजेशन के समय शेष वादग्रस्त भूमियां किराये पर ली जाकर बाद में जरिये बेचाननामा प्रदर्श–20 से दिनांक 11.10.1989 को क्रय कर ली थी जिस पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा है । वादी विवादित भूमि पर कब्जा होना साबित करने में असफल रहे है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रत्येक तनकी पर दस्तावेजी का विवेचन, विश्लेषण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

14. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.10.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील
(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।
ब इजलाश:- श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

1. श्री जैन गुरूकुल शिक्षण संघ, ब्यावर एक रजिस्टर्ड संस्था जो कि सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है व जो कि उसके सचिव व या उसके अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व होती है

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अजमेर (जिला अजमेर) ~~व अन्य~~

अपील संख्या 301/2017 (2017/301) ब नाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर मुबर्खे 03 माह 10 सन् 2017 प्रकरण संख्या 126/1991

दावा बाबत् :अंतर्गत धारा 88,91,183,188 ,राज. काश्त. अधि.1955

यह अपील ब तारीख 30 माह 07 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री घ. श्यामसिंह लखावत वकील अपीलांट, श्री विकास पारासर, राजकीय अधिवक्ता,वकील रेस्पों संख्या 01एवं 02, समायत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:—अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10. 2017 को यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक..~~x~~ रूपये..~~x~~ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ~~x~~ अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 30 माह 07 सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	—		1.स्टाम्प वकालतनामा	—	
2.स्टाम्प वकालतनामा	—		2.स्टाम्प अर्जी	—	
3.इजराय हुक्मनामा	—		3.इजराय हुक्मनामा	—	
4.वकील फीस बाबत	—		4.महनताना वकील	—	
मीजान	—		मीजान	—	

नोटः—इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।